[illegible]

पे. 25-2-19 को पेश हो।

14-2-19

25-2-19	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उप. हो. शीश अप्रार्थीगण की तामील सम्पन्न हो। अप्रार्थीगण कोई हाजिर नहीं हुये पत्रावली का अवलोकन किया गया तो हिस्सा तकसीम किये जाने का प्रस्ताव है जो तहसीलदार चाकसू से अनुमोदन से आधार पर अनुमोदन किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चक बड़लाई क्र. 2 के खाता सं. 9 जमाबन्दी सं. 2070-73 के [illegible] सत्यनारायण श्रीनारायण लालचन्द [illegible] कारमाथ दि. 1/12 के स्थान पर दि. 1/12 हद्द दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं [illegible] अनुसार [illegible] दर्ज किया जावे। निर्णय [illegible] तहसीलदार को भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)